(c) what is Government's response thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI) (a) and (b). Yes, Sir. Four militnat leaders belonging to various groups, in a press conference on 8th February, 1996 have made an offer for dialogue with the Government with a veiw to resolving the problem in Jammu and Kashmir.

(c) The Government have continued to remain openn to dialogue and discussions with various individuals and groups with the aim of restoring peace and normalcy in the State, and welcome this development.

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित फ्लैटों को गिराया जाना

*103. **श्री नागमणि:** क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने द्वारा निर्मित कुछ फ्लैट गिरा दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार ऐसे कितने फ्लैट गिराये गये और वर्ष 1995-96 के दौरान कितने फ्लैट गिराये जाने की संभावना है;

(ग) उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या ऐसे फ्लैटों का आवंटन करके आवंटियों को कब्जा दे दिया गया था;

(ङ) क्या उक्त आवंटियों के लिये वैकल्पिक आवंटन की कोई व्यवस्था कर दी गयी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) इसके कारण डी०डी०ए० को कितनी हानि हुई है;

(ज) क्या डी०डी०ए० ने इस संबंध में कुछ अधिकारियों/अभियंताओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एस०एस० अहलुवालिया) (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान गिराये गये फ्लैटों का ब्यौरा इस प्रकार है:—

वर्ष	फ्लैटों संख्या	कीस्कीम का नाम
1992-93	6	ए/10, कालकाजी
1993-94	शून्य	एक्सटैंशन में 282 एम
1994-95	शून्य	आई जी फ्लैट स्कीम

वर्ष 1995-96 के दौरान गिराने के लिये प्रस्तावित फ्लैटों का ब्यौरा इस प्रकार है:—

(i) मयूर बिहार, फेज-I में 265 फ्लैटों में से 163 फ्लैट (40एमआईजी† 123 एलआईजी)

(जज) मयूर बिहार, फेज-I में 300 में से 220 फ्लैट (44एमआईजी +176एलआईजी)

(iii) प्रशान्त बिहार, हैदरपुरी, सेक्टर 14 रोहिणी में 140 कमजोर वर्गों के लिए फ्लैट

(iv) जहांगीर पुरी में 56 एमआईजी फ्लैट (आंशिक निर्मित)

(ग) जमीन के नीचे बारीक मिट्टी बिछालन के कारण नींव धंसने की वजह से कालकाजी में 6 फ्लैट गिराने पड़े थे।

मयूर बिहार, प्रशान्त विहार और जहांगीर पुरी के फ्लैट घटिया निर्माण के कारण गिरायेजाने हैं।

(घ) कालकाजी एक्सटेंशन के 6 फ्लैटों का कब्जा आवंटियों को दिया गया था।

(ङ) जी, हां।

(च) कालकाजी के 5 फ्लैटों के आवंटियों को वैकल्पिक वास दिया गया था और छठे आवंटी को वैकल्पिक वास के बजाय किराये का भुगतान किया जा रहा है।

(छ) इन मकानों को गिराने के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण को हुई हानि इस प्रकार है:—

(i) कालकाजी एक्सटेंशन में 6 फ्लैट—11.04 लाख रु०

(ii) मयूर बिहार फेज—I 163 फ्लैट—77.70 लाख रु० (लगभग)

(iii) मयर बिहार फेज-I में 220 फ्लैट—125.00 लाख रु० (लगभग)

(iv) प्रशांत बिहार (हैदरपुर) में 140 ईडब्ल्यूएस—4.46 लाख रु० (लगभग)

(v) जहांगरी पुरी में 56 एमआईजी फ्लैट—27.50 लाख रु० (लगभग)

(ज) तथा (झ) सम्बन्धित अधिकारियों/इंजीनियरों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही इस प्रकार है:—

(i) कालकाजी एक्सटेंशन में 6 फ्लैट

एक अधीक्षक इंजीनियर, एक कार्यपालक इंजीनियर और तीन सहायक इंजीनियरों के विरुद्ध असाधारण शास्ति कार्यवाही शुरू की गई है।

(ii) मयूर विहार फेज-I में 163 फ्लैट

एक कार्यपालक इंजीनियर तथा 2 सहायक इंजीनियरों को सेवा से हटाया गया है और तीन जूनियर इंजीनियरों को वेतन कम करके तीन वर्ष की अवधि के लिये ग्रेड के निम्नतम तक किया गया है। कार्यपालक इंजीनियर तथा सहायक इंजीनियर बाबत शास्ति आदेशों को उच्च न्यायालय द्वारा तकनीकी आधार पर निरस्त कर दिया गया है और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को अनुसरण में आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही पहले ही की गई है।

(iii) मयूर बिहार फेज-I में 220 फ्लैट

एक कार्यपालक इंजीनियर तथा एक जूनियर इंजीनियर के विरुद्ध असाधारण शास्ति कार्यवाही शुरू की गई है। एक सहायक इंजीनियर बाबत मामला असाधारण दण्ड कार्यवाही हेतु उसके मूल विभाग को भेजा गया है।

(iv) प्रशान्त बिहार में 140 ईडब्ल्यू एस फ्लैट

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आये एक कार्यपालक इंजीनियर और एक सहायक इंजीनियर सेवा निवृत्त हो गये थे और एक जूनियर इंजीनियर के विरुद्ध साधारण दण्ड कार्यवाही शुरू की गई है।

(v) जहांगीर पुरी में 56 एम आई जी फ्लैट

एक कार्यपालक इंजीनियर, एक सहायक इंजीनियर और एक जूनियर इंजीनियर के विरुद्ध असाधारण दण्ड की कार्यवाही शुरू की गई है। एक लेखाकार, जो दिल्ली विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर था, के विरुद्ध साधारण दण्ड की कार्यवाही का मामला मूल विभाग को भेजा गया है।

Central Assistance to Bihar and Punjab for Housing

*104. SHRI JANARDAN YADAV: Will the Minister of URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government have received any proposal from the Government of Bihar for granting loan and assistance for contruction of houses for SCs/STs and other economically weaker sections of the society;

(b) if so, the details thereof and the action taken thereon by Government; and

(c) the details of the Central assistance including loans/grants form HUDCO provided to Punjab as on the 30th October, 1995 for the purpose and the target fixed for the Eighth Five Year Plan?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT DEPTT. OF URBAN EMPLOYMENT AND POVERTY ALLEVIATION (SH. S.S. AHLUWALIA): (a) and (b) No, Sir. However, Housing & Urban Development Corporation (HUDCO) has reported that during the current year, 6 EWS rural housing schemes for a loan amount of Rs. 12.00 crores have been sanctioned by HUDCO. Four schemes, two each in EWS urban and EWS rural category, for loan amounts of Rs. 1.63 crores and Rs. 4.00 crores respectively are in the pipeline of HUDCO as on 31.1.1996

The National Housing Bank (NHB) has reported that it has received 13 project proposals form the Bihar State Housing Board, for housing the rural poor, with loan component of Rs. 50 crores, out of which two projects with loan component of Rs. 10.56 crores have already been sanctioned.

(c) Since inception and as on 31.10.1995, HUDCO has sanctioned 315 housing projects in Punjab, both in urban and rural areas, with loan commitment of Rs. 202.79 crores. These projects, on completion, will provide 113066 dwelling units, 43 non-residential buildings and 4679 developed plots.

HUDCO does not fix any Statewise plan target. Annual loan allocation is made by HUDCO for each State at the beginning of the year on the basis of areas and population. Loan allocation for Punjab during 1995-96 is Rs. 27.98 crores.